न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–342/2026

छोटू चौधरी बनाम बिहार राज्य

28.07.2026 आवेदक/अभियुक्त **छोटू चौधरी पे0 श्यामबाबू चौधरी,** जो परिवाद वाद सं–147/2022 (अन्तर्गत धारा–498(ए), 323 भा0द0वि0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) में अभियुक्त है, जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बालदेव विद्या सागर द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में इस जमानत आवेदन के अलावे किसी भी न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त परिवादिनी का पति है। परिवादिनी द्वारा तथाकथित प्रताड़ना एवं इलाज तथा समझौता का कागजात परिवादपत्र के साथ दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक पर लगाया गया आरोप सरासर गलत व बेबुनियाद है। सह अभियुक्तों को ए0बी0पी0 नं–136/2023 से जमानत दिया गया है। परिवादपत्र में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। परिवादिनी एवं आवेदक अभियुक्त दिनांक 03.11.2019 को प्रेम विवाह किया था, उस समय दोनों नाबालिग थे। घटना से पूर्व पुलिस एवं न्यायालय में कोई शिकायत नहीं किया गया है। संज्ञान के बाद जानकारी होने पर आवेदक द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक एवं परिवादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा–498(ए),323 भा0द0वि0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया है। आवेदक अभियुक्त इस वाद के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि ये परिवादिनी सिमसिम कुमारी के पति रहते हुए अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर परिवादिनी से दो लाख रूपये व एक स्पलेण्डर मोटर साइकिल दहेज स्वरूप मांगकर परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे एवं परिवादिनी को घर से निकाल दिये। यह आरोप काफी गंभीर है एवं इस जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किये जाने पर परिवादिनी इस न्यायालय में उपस्थित हुई है एवं सुनवाई के क्रम में परिवादिनी की तरफ से एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि इस परिवाद वाद में न्यायालय से प्रोसेस निर्गत किये जाने के पश्चात् अभियुक्त जमानत प्राप्त करने हेतु परिवादिनी को ससुराल ले जाकर मारपीट व प्रताड़िना किये व परिवादिनी से संधि करने का दिखावा करने के लिए कलकत्ता ले

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–342/2026

लगातार

28.02.2026

गये व अपने पिता व परिवार को बुलाकर परिवादिनी एवं उसकी हत्या करने का प्रयास किये एवं परिवादिनी की 05 वर्षीय पुत्री के साथ आवेदक अभियुक्त के पिता दुष्कर्म किये, जिसके लिए बी.एन.एस. व पॉक्सो ऐक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है एवं इस संदर्भ में आवेदक अभियुक्त के पिता पश्चिम बंगाल में कारावास में है एवं यह अपराध आवेदक अभियुक्त अपने पिता से करवाये हैं एवं आवेदक अभियुक्त उक्त मुकदमा में भी संधि करने हेतु दबाव बना रहे हैं एवं आवेदक अभियुक्त से परिवादिनी एवं उसकी पुत्री को खतरा है। परिवादिनी द्वारा इस कथन के समर्थन में दस्तावेज की प्रतियां भी दाखिल की गई है। यद्यपि आवेदक अभियुक्त द्वारा परिवादिनी के इस आवेदन का जवाब दाखिल किया गया है, किन्तु आवेदक अभियुक्त द्वारा परिवादिनी के उपरोक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Alok Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा